

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 276/2013
संस्थित दिनांक- 05.06.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

1. नानसिंह पिता शोभाराम बारेली,
आयु-32 वर्ष, जाति-बारेली,
निवासी-दोदवाड़ा, थाना सेंधवा ग्रामीण,
जिला बड़वानी
2. हरचंद पिता सीताराम बारेली,
आयु-28 वर्ष, जाति-बारेली,
निवासी-जोगवाड़ा, थाना सेंधवा ग्रामीण,
जिला बड़वानी
3. धर्मेन्द्र पिता अर्जुन बारेली,
आयु-40 वर्ष, जाति-बारेली,
निवासी-जोगवाड़ा, थाना सेंधवा ग्रामीण,
जिला बड़वानी
4. कहारिया पिता मगन बारेली,
आयु-40 वर्ष, जाति-बारेली,
निवासी-दोदवाड़ा, थाना सेंधवा ग्रामीण,
जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री बी.एस. चौहान अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 18/11/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 89/13 के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 का अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में कोई भी तथ्य स्वीकृत नहीं है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.13 को शाम लगभग 6:30 बजे थाना अंजड़ के स.उ.नि. श्री गजानंद सोनी को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अपनी खानगी रोजनामचे में दर्ज कर स.उ.नि. कमल तारे, प्रधान आरक्षक ओंकार, डालूराम, प्रमोद, रणछोड़ पाटीदार तथा आरक्षक रामकिशोर को लेकर बस स्टैंड पहुँचकर साक्षी देवेन्द्र पिता सीताराम और सुभाष पिता रतनलाल को लेकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने के लिये पाटनी जिनिंग मिल के पास बड़दा रोड़ पर पहुँचकर नाकाबंदी की, मुखबिर की सूचना थी कि कुछ लोग सफेद रंग के 12 कैड़े एवं बैलों को लेकर हाकते हुए बैलों को मारते भगाते हुए आते हुए दिखायी दिये तथा बैलों को वध करने के लिये महाराष्ट्र ले जाने वाले हैं तथा उन्हें वध करने वाले हैं, वे लोग आपस में यह भी चर्चा कर रहे थे कि “जल्दी चलो नहीं तो वधशाला बंद हो जाएगी ।” उक्त व्यक्तियों का यह कृत्य ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860’ की धारा-11(1)(घ), ‘म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959’ की धारा-6/11 तथा ‘म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004’ की धारा-4, 6, 9 का अपराध होने से उन्हें रोककर पूछताछ की तथा उनके नाम, पते पूछने पर उन्होंने अपना नाम नानसिंह पिता शोभाराम, हरचंद पिता सीताराम, धर्मेन्द्र पिता अर्जुन, कहारिया पिता मगन बताया । अभियुक्तों से उक्त बैलों को जप्त किया और उन्हें गिरफ्तार कर थाना अंजड़ लाया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/13 उक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर जप्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया और बैलों को गोशाला में भेजा तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860’ की धारा-11(1)(घ), ‘म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959’ की धारा-6/11 तथा ‘म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004’ की धारा-4, 6, 9 के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्तगण ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।
5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 26.04.13 को शाम लगभग 06:30 बजे पाटनी जिनिंग के पास बड़दा रोड़ पर 12 बैलों को मारपीट कर उनके विरुद्ध क्रूरता कारित की ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 12 बैलों को वध करने के प्रयोजन से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा या वध करने की संभावना है, उनका अंतर्राज्यीय परिवहन करने का प्रयास किया ?
3	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 12 बैलों का उन्हें म.प्र. राज्य के बाहर वध करने के आशय से या वध करने की संभावना से परिवहन किया ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी सुभाष (अ.सा.1), देवेन्द्र (अ.सा.2), ओंकार साल्वे (अ.सा.3), डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.4), गजानंद सोनी (अ.सा.5), कमल तारे (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी गजानंद सोनी (अ.सा.5) का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्तों को जानता है, जिन्हें उसने बैलों को ले जाते हुए पकड़ा था । घटना दिनांक 26.04.13 को वह अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति बड़दा रोड़ अंजड़ से गोवंश को वध हेतु मारते-पीटते लेकर आने वाले हैं, जिसकी सूचना उसने रोजनामचा क्रमांक 990 समय 6 बजकर 5 मिनट पर दर्ज की गयी, वह अपने साथ रोजनामचा सान्हा लेकर आया है, जो असल प्र.पी.7 का है, जिसकी फोटोप्रतिलिपि प्रकरण में पेश की है, जो प्र.पी.7सी की है । इस संबंध में उसने तत्कालीन थाना प्रभारी कुलवंतसिंह जोशी को अवगत कराया गया था, जिन्होंने उसे मुखबिर की सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु तत्काल मौके पर जाने का निर्देश दिया था, जिसके पालन में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 991 समय 6 बजकर 10 मिनट का वह उसके साथ स.उ.नि. कमल तारे, श्यामलाल यादव, प्रमोद शर्मा, रणछोड़ पाटीदार, ओंकार साल्वे, डालूराम, आरक्षक रामकिशोर को साथ लेकर रवानगी डालकर कार्यवाही हेतु गया था, रवानगी रोजनामचे पर असल प्र.पी.8 की है, जिसकी फोटोप्रतिलिपि प्र.पी.8सी की है । साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त पुलिस बल को लेकर वह बस स्टैंड पर पहुँचा तथा साक्षी देवेन्द्र, सुभाष को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर उन्हें साथ लेकर बड़दा रोड़ पाटनी जिनिंग के पास पहुँचा और छिपकर नाकाबंदी की, थोड़ी देर बाद कुछ व्यक्ति बैलों और कैडों को मारपीट करते, भगाते हुए लेकर आते दिखे, जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि "जल्दी-जल्दी चलो, महाराष्ट्र दूर है, कत्लखाना बंद हो जाएगा ।" उनकी घेराबंदी करके मवेशी सहित पकड़ा । उक्त अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम नानसिंह पिता शोभाराम निवासी दोदवाड़ा जिसके पास 3 नग बैल, हरचंद पिता सीताराम निवासी जोगवाड़ा, जिसके पास 3 नग बैल, धर्मेन्द्र पिता अर्जुन निवासी जोगवाड़ा, जिसके पास 4 नग बैल, कहारिया पिता मगन निवासी दोदवाड़ा, जिसके पास 2 नग बैल मिले, जिनसे बैलों को लाने के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बैलों को धार जिले के कानवन हाट से लेकर आना बताया तथा बैलों को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाना बताया । (अभियुक्तों के उक्त कथन अपराध की संस्वीकृति के संबंध में होने से साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-25 के प्रावधान अनुसार पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उसे किये गये कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं) साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्तों से बैलों को प्र.पी.1 के अनुसार जप्त किया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 का बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । वह जप्त बैलों को और अभियुक्तों को साथ लेकर थाना अंजड़ आया । बैलों का परीक्षण पशु चिकित्सक से कराया तथा बैलों को अस्थायी सुपुर्दगी पर अंजड़ गोशाला को सौंपा था, उसने थाना अंजड़ आकर अभियुक्तों के विरुद्ध प्र.पी.9 का अपराध दर्ज किया, जिसके ए से ए भाग एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा जप्त बैलों को राजसात करने की कार्यवाही के

संबंध में पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से जिला कलेक्टर बड़वानी को की थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उपस्थित अभियुक्तों को देखकर यह नहीं बता सकता कि किस अभियुक्त का क्या नाम है । साक्षी ने स्वीकार किया कि सभी अभियुक्तगण कृषक हैं । साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया कि सभी बैल कृषि योग्य हैं एवं स्वस्थ हैं या नहीं, वह नहीं बता सकता क्योंकि वह चिकित्सक नहीं है । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे किसी साक्षी ने बैलों की संख्या के बारे में नहीं बताया था और उसे सभी अभियुक्तों ने बैलों के क्रय विक्रय की रसीदे बतायी थी । साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने सभी रसीदे फाड़कर फेंक दी थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जिस जगह से बैल जप्त होना बताया है, वहां पर कोई महाराष्ट्र की सीमा नहीं है और ना ही कोई कत्लखाना है । साक्षी ने स्वीकार किया कि पाटनी जिनिंग के आसपास रहवासी क्षेत्र है, जहां पर मजदूर कार्य करते हैं । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जिनिंग के मजदूर एवं मालिक को बुलाकर उनके कोई कथन लेखबद्ध नहीं किये । साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामे में यह उल्लेख नहीं किया है कि बैल किस नस्ल के थे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह किसी भी व्यक्ति को नाम से नहीं जानता है, इसलिए यह नहीं बता सकता कि कौन किससे क्या बात कर रहा था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सामान्यतः कृषि कार्य के लिये किसानों को दो बैलों की आवश्यकता होती है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने बैलों के स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज जप्त नहीं किया था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि बैलों को वध हेतु ले जाते तो वाहन में भरकर ले जाते । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि थाना अंजड़ के अधिकतर प्रकरणों में साक्षी देवेन्द्र के हस्ताक्षर करवाते हैं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने कथन नहीं दिये थे अथवा उसने कथन मन से लेखबद्ध किये हैं । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने उसने बजरंग दल के दबाव में आकर आरोपीगण के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है ।

8. साक्षी ओंकार साल्वे (अ.सा.3), कमल तारे (अ.सा.6) ने भी दिनांक 26.04.13 को गजानंद सोनी को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने और उनके साथ जाकर साक्षी सुभाष, देवेन्द्र को बुलाकर 4 व्यक्तियों से 12 बैल जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं । उक्त साक्षियों का भी यह कथन है कि बैल ले जाने वाले व्यक्तियों ने बैलों को वधशाला महाराष्ट्र ले जाना बताया था । (उक्त साक्षियों के कथन भी साक्ष्य अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं) साक्षियों ने अभियुक्तों के नाम भी उनके पूछताछ करने पर बताना बताया है । साक्षियों का यह कथन है कि अभियुक्तों से उक्त बैल गजानंद सोनी ने जप्त किये थे, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना अंजड़ पर लाये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ओंकार साल्वे (अ.सा.3) ने यह स्वीकार किया है कि नर्मदा पार करके ग्राम सुंदेल जाने का रास्ता पड़ता है, जहां पर पशु बाजार का आयोजन होता है और उक्त बाजार में अच्छी किस्म के बैलों का क्रय-विक्रय किसानों द्वारा किया जाता है । साक्षी ने स्वीकार किया कि नर्मदा पार करके कोई भी व्यक्ति सुंदेल बाजार बैल लेकर जा सकता है तथा राजपुर, पलसूद, सेंधवा, अंजड़ के कृषक बैल क्रय करने के लिये नर्मदा पार करके जाते हैं । साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि बैलों को मारते-पीटते ले जाते हैं तो उनके पास लकड़ी होती है तथा पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तों से कोई लकड़ी जप्त नहीं की है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम दोदवाड़ा एवं जोगवाड़ा से महाराष्ट्र राज्य की दूरी कितनी है, वह नहीं बता सकता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है

कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र राज्य की सीमा अंजड़ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है । यह स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र के कौन से गांव, तहसील या जिले में बैलों को ले जा रहे थे, यह नहीं बताया था । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण उक्त बैल कृषि कार्य के लिये ले जा रहे थे और वह पुलिस विभाग में होने से पुलिस के पक्ष में असत्य कथन कर रहा है ।

9. साक्षी कमल तारे (अ.सा.6) ने बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि म.प्र. राज्य में अच्छी किस्म के कृषि योग्य पशुओं का क्रय-विक्रय के लिये पशु बाजार का आयोजन शासन द्वारा किया जाता है । यह भी स्वीकार किया है कि म.प्र. राज्य में कानवन, सुंदेल, राजपुर आदि में पशु बाजार का आयोजन होता है, जहां अच्छी किस्म के बैल खरीदने कृषक जाते हैं । यह अस्वीकार किया है कि ग्राम कानवन से कृषक बड़दा से अंजड़ होते हुए बैलों को ले जाते हैं । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि खेती के लिये दो बैलों की आवश्यकता होती है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके सामने अभियुक्तगण से बैल जप्त नहीं किये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

10. साक्षी डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.4) ने दिनांक 27.04.13 को पशु चिकित्सालय, अंजड़ में थाना अंजड़ के पत्र के आधार पर जप्त 12 केड़ों का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उन्हें स्वस्थ, कृषि कार्य के लिये उपयोगी होना पाया था तथा अपना चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.5 एवं थाने के भेजे गये पत्र प्र.पी.6 को भी प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सभी केड़े कृषि कार्य के लिये उपयोगी थे ।

11. सुभाष (अ.सा.1), देवेन्द्र (अ.सा.2) अभियुक्तों से उक्त 12 केड़े जप्त किये जाने के स्वतंत्र साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने उपस्थित अभियुक्तों को पहचानने से और उनके सामने अभियुक्तों से कोई वस्तु जप्त करने से इन्कार कर अभियोजन के मामले का पूर्णतः खंडन किया है, साक्षियों ने केवल प्र.पी.1 एवं 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि दिनांक 26.04.13 को पुलिस ने बस स्टैंड अंजड़ पर उनको दोनों को तलब कर मुखबिर की सूचना बतायी थी कि बड़दा की ओर से बैलों का अवैध परिवहन महाराष्ट्र की ओर किया जा रहा है । साक्षियों ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण 12 बैलों को दौड़ाते हुए ला रहे थे अथवा यह चर्चा कर रहे थे कि बैलों को जल्दी से महाराष्ट्र की वध शाला में ले जाना है । साक्षियों ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने पूछने पर अपने नाम बताये थे तथा अभियुक्त नानसिंह से 3 बैल, अभियुक्त हरचंद से 3 बैल, अभियुक्त धर्मेन्द्र से 4 बैल तथा अभियुक्त कहारिया से 2 बैल पुलिस ने जप्त किये थे । यहां तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्र.पी. 3 एवं प्र.पी.4 के कथन देने से भी स्पष्ट इन्कार किया है । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 के कोरे पंचनामों पर उनके हस्ताक्षर करवाये थे, जो उन्होंने थाना अंजड़ में किये थे । साक्षी देवेन्द्र (अ.सा.2) ने यह स्वीकार किया है कि वह पुलिस का वाहन चालक है और पुलिस उससे अक्सर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाती है ।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से अभियुक्तों से उक्त बैल जप्त किये जाने

का स्वतंत्र पंच साक्षियों ने अभियोजन के इस बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्तगण उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 12 बैलों का परिवहन कर जा रहे थे, जिन्हें गजानंद सोनी (अ.सा.5) ने पकड़ा था । स्वयं गजानंद सोनी (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जिस जगह से बैल जप्त होना बताया है, वहां किसी प्रकार की महाराष्ट्र की सीमा नहीं है और ना ही कोई कत्लखाना है । यहां तक कि उक्त साक्षी ने पाटनी जिनिंग में जप्ती स्थान के आसपास मजदूरों एवं अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति होना भी स्वीकार किया है, लेकिन उक्त स्थान पर उपस्थित किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति के कथन साक्षी के रूप में लेखबद्ध नहीं किये गये तथा उन्हें जप्ती का साक्षी भी नहीं बनाया गया है । गजानंद सोनी (अ.सा.5), कमल तारे (अ.सा.6) तथा ओंकार साल्वे (अ.सा.3) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कृषि कार्यों के लिए एक किसान को 2 बैलों की आवश्यकता होती है तथा अंजड़ शहर और आसपास के लोग अच्छी किस्म के बैलों को खरीदने के लिये सुंदेल जाते हैं, जहां से बैल खरीदकर वे नर्मदा नदी पार करके इसी रास्ते से वापस आते हैं, जिस स्थान से गजानंद सोनी (अ.सा.5) ने अभियुक्तों से उक्त बैल जप्त करना बताया है । साक्षी ओंकार साल्वे (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकारोक्ति की है कि यदि पशुओं को मारते-पीटते ले जाते हैं तो उनके पास लकड़ी होती है और पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तों से कोई लकड़ी जप्त नहीं की थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अंजड़ से महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है । स्वयं गजानंद सोनी (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि बैलों को वध हेतु ले जाते हैं तो वाहन में भरकर ले जाते हैं ।

13. इस प्रकार स्वयं गजानंद सोनी (अ.सा.5), कमल तारे (अ.सा.6) तथा साक्षी ओंकार साल्वे (अ.सा.3) की भी स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 12 बैलों को महाराष्ट्र वध करने के प्रयोजन से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा या वध करने की संभावना है, उनको मारपीट कर अंतर्राज्यीय परिवहन कर रहे थे अथवा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर वध करने की संभावना से परिवहन का प्रयास कर रहे थे । ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है ।

14. अतः अभियुक्तगण नानसिंह पिता शोभाराम बारेल्ला, हरचंद पिता सीताराम बारेल्ला, धर्मेन्द्र पिता अर्जुन बारेल्ला, कहारिया पिता मगन बारेल्ला को 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

15. चूंकि प्रकरण में जप्तशुदा बैल के संबंध में राजसात की कार्यवाही कलेक्टर बड़वानी के द्वारा की जा रही है, अतः जप्त संपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है । निर्णय की एक प्रति कलेक्टर, बड़वानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए ।

16. अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.